ग्राम फूलपुर की वन भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप

आवेदन में एक व्यक्ति पर ग्रामीणों से मारपीट का उल्लेख

शासकीय संपत्ति को पहुंचाया जा रहा नुकसान

नवभारत न्यूज,
टीकमगढ़/ जतारा

थाना जतारा के ग्राम पंचायत फूलपुर में वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे, बजरी एवं पत्थर के उत्खनन तथा जलाऊ लकड़ी काटकर रखने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में एक व्यक्ति पर ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, फूलपुर निवासी वहोरे लाल अहिरवार पर आरोप है कि उसने कथित रूप से शासकीय वन भूमि पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त भूमि से बजरी एवं पत्थर का उत्खनन कर बाहर बिक्री किए जाने के साथ ही बड़ी मात्रा में वन्य जलाऊ लकड़ी भी एकत्रित कर रखी गई है। आवेदन में करीब पांच ट्रॉली से अधिक लकड़ी और लगभग दस ट्रॉली पत्थर घर पर रखे होने का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने वन भूमि को शासकीय संपत्ति बताते हुए कब्जा एवं उत्खनन का विरोध किया तो संबंधित व्यक्ति कथित रूप से विवाद करने लगा और गाली-गलौज करते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि वन भूमि पर पहले गांव के मवेशी चरने के लिए जाते थे, लेकिन आरोपित व्यक्ति द्वारा कथित रूप से मवेशियों को वहां से भगा दिया गया और चराई के लिए घास उपलब्ध नहीं होने दी जा रही है।

इससे ग्रामीणों को अपने मवेशियों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि विवाद के दौरान उन्हें जातिसूचक आरोपों में फंसाने की धमकी दी जाती है। वहीं, आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध जातिसूचक शब्दों से मारपीट किए जाने के आरोप लगाकर कथित रूप से शिकायत की गई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और परेशानी बनी हुई है। थाना जतारा के ग्राम पंचायत फूलपुर में वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे, बजरी एवं पत्थर के उत्खनन तथा जलाऊ लकड़ी काटकर रखने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में एक व्यक्ति पर ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग

ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, वन भूमि की सीमांकन एवं मौके की जांच कराने, कथित अवैध कब्जे और उत्खनन की जांच करने तथा वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आवेदन में करीब पांच ट्रॉली से अधिक लकड़ी और लगभग दस ट्रॉली पत्थर घर पर रखे होने का उल्लेख किया गया है।

सड़क दुर्घटना में वाहन चालक की मौत

नवभारत न्यूज, टीकमगढ़।

इन दिनों वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। पुलिस की समझाइस के बाद भी वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन तेज गति से चला रहे है। देहात थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 25 साल के युवक की मौत हो गई। युवक सोमवार रात अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, तभी उसकी कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई।

जानकारी के मुताबिक, नगर परिषद कारी वार्ड नंबर 15 के रहने वाले रवि सिंह पिता सुरेंद्र सिंह घोष पास के गांव मबइ में एक बर्थडे पार्टी में गए थे। देर रात घर लौटते समय कंचनपुरा गांव के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और खेतों में जा घुसी। कार करीब 200 फीट तक घिसटते और पलटते हुए खेत में जाकर गिरी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद रवि कार से बाहर निकलकर सड़क पर आए और वहीं बेहोश हो गए।रात में देहात थाने की पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने रवि को सड़क पर पड़े देखा। उसी वक्त रवि के फोन पर उसके घर से लगातार कॉल आ रहे थे। पुलिस ने फोन उठाकर परिवार को हादसे की जानकारी दी। खबर मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और रवि को जिला अस्पताल ले गए।मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रवि सिंह की शादी महज तीन महीने पहले ही हुई थी। इस घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर एक्सीडेंट की वजहों की जांच कर रही है।

टीकमगढ़ देहात थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 25 साल के युवक की मौत हो गई। युवक सोमवार रात अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, तभी उसकी कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई।

परिषद की बैठक में विकास पर चर्चा

नवभारत न्यूज पलेरा।

नगर परिषद पलेरा की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। यह बैठक नगर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को गति देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी, जिसमें कुल 50 बिंदुओं का एजेंडा चर्चा के लिए रखा गया था।

बैठक की शुरुआत से ही माहौल काफी गरमा गया और विकास के मुद्दों के साथ-साथ व्यक्तिगत आरोपों की बौछार देखने को मिली।प्रमुख उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठक में नगर के विकास से जुड़े तमाम जिम्मेदार चेहरे मौजूद रहे, जिनमें शामिल हैं। नगर परिषद पलेरा के सभी 15 वार्डों के पार्षद एल्डर मैन पार्षद सुनील खटीक सांसद प्रतिनिधि विनोद वर्मा रानू तिवारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य विभागीय कर्मचारी।

मुख्य एजेंडा और विकास कार्यों पर फैसले हंगामे और तीखी बहस के बावजूद, नगर के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

तहसीलदार ने कब्जा हटाने की दी लोगों को हिदायत

नवभारत न्यूज, जतारा।

मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ताजा मामला जतारा तहसील के बाजीतपुरा ग्राम से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने बिना किसी शासकीय मंजूरी के सीधे पूरी सरकारी पहाड़ी पर ही पौधा रोपण के नाम पर जाली लगाकर कब्जा करने का मामला सामने आया है।

बाजीतपुरा की शासकीय पहाड़ी खसरा क्रमांक 111/1/1 को जब लोहे की मजबूत जालियों और फेंसिंग लगाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था, बन्दरगुड़ा के कुछ ग्रामीणो ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम नीरज खरे और तहसीलदार नितिन गौड़ से की। जैसे ही यह मामला जिला कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के संज्ञान में आया, उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए।

अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

नवभारत न्यूज, जतारा।

बम्हौरीकलां पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 पेटी एवं एक सफेद प्लास्टिक के थैले में रखे देशी मदिरा के कुल 320 क्वार्टर बरामद किए हैं। जब्त शराब की कुल मात्रा 57.600 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,600 रुपये है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाह एवं एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में बम्हौरीकला थाना पुलिस को 10 अगस्त 2026 को मुखबिर से अवैध शराब के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।

14 अगस्त तक पंजीयन कराने की अपील

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, के प्राचार्य के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्था स्तरीय काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 04 जुलाई से 14 अगस्त तक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित है।

पंजीकृत अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 के तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रात: 10.30 बजे समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रतियों सहित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टीकमगढ़ में उपस्थित होकर रिक्त सीटों के विरुद्ध संस्था स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रवेश उपलब्ध हैं। शासन ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली है।

कार्यालय – नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक/4659/राजस्व/नपा/2026 — टीकमगढ़, दिनांक 07/08/2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

समस्त पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 (31 मार्च 2029) हेतु मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 में वर्णित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद की सीमा के अंदर आउट डोर मीडिया विज्ञापन (होर्डिंग्स) प्रदर्शन करने हेतु इच्छुक फर्मों से ई-टेंडर के माध्यम से दरें आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक ऑफरकर्ता बेवसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र दिनांक 10/08/2026 को प्रात: 10 बजे से दिनांक 29/08/2026 को शायं 5:30 बजे तक प्राप्त कर सकेंगे। विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य जानकारी बेवसाईट http:/mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	टेंण्डर क्रमांक एवं जारी दिनांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं (EMD)	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_527934_1	नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की सीमा के अंदर आउटडोर मीडिया विज्ञापन (होर्डिंग्स) प्रदर्शन	8.25	2000/- 16500/-	सायं 05:30 बजे तक 29/08/2026

नोट - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http:/mptenders.gov.in बेबसाईट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र हेतु फर्म का वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त अधिकतम ऑफर राशि में आगामी वित्तीय वर्षों (2027-28 एवं 2028-29) में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जावेगी।
3. नगर पालिका के वकायादार अथवा उनके परिजन ऑफर आमंत्रण में सम्मिलित होने के पूर्व नगर पालिका से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
4. दरें सिर्फ ऑनलाईन स्वीकार की जावेंगी।
5. उच्चतम ऑफरकर्ता को उसका ऑफर स्वीकृत होने की अधिकृत जानकारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर ऑफर का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा, शेष राशि दो समान किस्तों में जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में 30 प्रतिशत राशि जमा न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए टेण्डर निरस्त किया जावेगा।
6. दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ को होगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। विवाद की स्थिति में कानूनी न्याय क्षेत्र टीकमगढ़ होगा।
7. विज्ञापन का प्रस्तावित स्थान/संरचना की सुनिश्चितता संरचना इंजीनियर से कराने का दायित्व अभिकरण का होगा।
8. मप्र आउट डोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 के नियमों का पालन करना होगा।
9. नकारात्मक प्रकृति जिनमें कि अश्लीलता, रंगभेद, मादक पदार्थ, महिला एवं बाल शोषण, कामुक, पशु क्रूरता, हिंक प्रक्रिति, विध्वंशक, आग्नेयास्त्र आधारित, अपहानि विज्ञापन सम्मिलित हैं के आउटडोर विज्ञापन मीडिया डिवाइस स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
10. निकाय द्वारा चिह्नित स्थानों पर ही विज्ञापन का प्रदर्शन किया जायेगा, निकाय की संपति अथवा अन्य सार्वजनिक संपति पर विज्ञापन प्रदर्शन करने के पूर्व निकाय से अथवा संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी की अनापत्ति आवंटिती को प्राप्त करना होगी और उसकी प्रति नगर पालिका को उपलब्ध कराई जावेगी।
11. मध्य सड़क, सौन्दर्यपरक प्रतिमाएं,मीनारें अथवा धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति नही होगी।
12. वृक्षों या टहनियों को क्षति पहुंचाकर अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अनुमति नहीं रहेगी।
13. स्थापित विज्ञापन मीडिया डिवाईज अथवा उसके किसी सहायक उपकरण से कोई दुर्घटना अथवा कहीं कोई विवाद होने की दशा में आवंटित स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
14. सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय उत्सवों अथवा अन्य शासकीय कार्यों के डिवाईज/होर्डिंग्स उपयुक्त स्थानों पर लगवा सकेगा, इस हेतु आवंटिती कोई शुल्क बसूल नहीं करेगा तथा इस राशि का समायोजन आदि नहीं किया जावेगा।
15. अन्य शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकेंगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, टीकमगढ

कांवड़ियों का किया आत्मीय स्वागत

नवभारत न्यूज,

पलेरा। आस्था, उत्साह और धार्मिक सौहार्द के संगम के साथ स्थानीय नगर पलेरा में बीतें मंगलवार को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। नगर परिषद पलेरा के पूर्व अध्यक्ष एवं क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता सुनील खटीक तथा पार्षद प्रतिनिधि मुकेश यादव के संयुक्त नेतृत्व में ओरछा धाम से जल लेकर लौट रहे शिव भक्त कांवड़ियों का अभूतपूर्व और भव्य स्वागत किया गया।

जतारा-नौगांव रोड स्थित पार्षद निवास पर आयोजित इस अभिनंदन समारोह ने पूरे क्षेत्र को शिवमय और भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। इस पूरे आयोजन के मुख्य सूत्रधार रहे नगर परिषद पलेरा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील खटीक। क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़, मिलनसार छवि और धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले सुनील खटीक के आह्वान पर इस स्वागत समारोह में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। जिन्होनें कांवड़ियों का स्वागत किया।

लोक सेवा आयोग परिषद की संगठनात्मक बैठक

नवभारत न्यूज, खरगापुर।

खरगापुर में जन सहायता मानव अधिकार लोक सेवा परिषद की संगठनात्मक बैठक एवं पदभार ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में नवनियुक्त टीकमगढ़ जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने जिला अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। वहीं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मानव अधिकारों के संरक्षण और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों एवं पदाधिकारियों का पुष्पमाला, शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया।कार्यक्रम के दौरान खरागपुर थाना प्रभारी अंबर सिंह सिकरवार को लूट की घटना के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने पर थाना प्रभारी ने परिषद का आभार व्यक्त किया तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सम्मानित किए जाने की बात कही।

मत्स्यबीज उपलब्ध

नवभारत न्यूज टीकमगढ़।

मत्स्यपालन के लिये मछली पालन विभाग के मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों पर उचित शासकीय मूल्य पर मत्स्यबीज उपलब्ध है।

मत्स्यपालन से संबंधित सभी मछुआ सहकारी समितियां, मछुआ,व्यक्तिगत के लिये मछली पालन विभाग के मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों पर उचित शासकीय मूल्य पर मत्स्यबीज उपलब्ध है।

हर घर तिरंगा अभियान पर दिया जा रहा जोर

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन 9 से 17 अगस्त 2026 तक जनभागीदारी के साथ किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

जिले के सभी विकासखंडों एवं ग्राम पंचायतों में तिरंगा से प्रेरित कला एवं तिरंगा प्रदर्शनी, तिरंगा रंगोली, तिरंगा बुनाई, तिरंगा पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगे के लिए स्वयंसेवा, तिरंगा सजावट एवं प्रकाश व्यवस्था जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही सैन्य बलों एवं पुलिसकर्मियों के जवानों के लिए पत्र लेखन कार्यक्रम, तिरंगा संगीत कार्यक्रम तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी किया जाएगा। अभियान के दौरान तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक, ई-बाइक एवं तिरंगा साइकिल रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वज बिक्री एवं वितरण, मानव श्रृंखला तथा तिरंगा शपथ जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्व-सहायता समूहों एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में खादी ध्वज ले सकते है।

हादसा — पलेरा नगर में हुआ हादसा

यात्री बस से टकराई बाइक, तीन लोग हुए घायल

नवभारत न्यूज,

पलेरा। नौगांव से पलेरा की ओर आ रही यात्री बस जब स्टेट बैंक के पास रुकी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बस में जा टकराई। हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया है।

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा पहुंचाया। पुलिस आरक्षक शिवदयाल और पायलट हेमंत कुमार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों की पहचान पुरुषोत्तम अहिरवार, मनीष और अभिषेक के रूप में हुई है। तीनों टोरिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण बाइक की तेज रफ्तार बताया जा रहा है। नौगांव से पलेरा की ओर आ रही यात्री बस जब स्टेट बैंक के पास रुकी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बस में जा टकराई। हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण बाइक की तेज रफ्तार बताया जा रहा है।

घायलों का उपचार जारी

पलेरा में हुए सड़क हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा पहुंचाया। पुलिस आरक्षक शिवदयाल और पायलट हेमंत कुमार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने घायलों को तुरंत उपचार कि लिए भेजा।